Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 30 ⁄ 2023 सी.आई.एस.क्र.– 30 ⁄ 2023

ताला मरांडी एवं अन्य बनाम छोटेलाल हांसदा एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
12.05.2026	वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत संशोधन आवेदन दिनांक 08.08.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वाद पत्र के पैरा – 1 के पृष्ठ सं0 3 के तीसरे पंक्ति एवं वाद पत्र के अनुसूची – ''ए'' के अंत में टंकक की त्रुटि के कारण वाद भूमि के विवरण खाता – 9, मालकी खाता – 41, प्लॉट सं0 6347 ⁄ 6637, रकवा – 0.47 डिसमील, प्लॉट सं0 – 6343 ⁄ 6639, रकवा – 0.69 डिसमील, प्लॉट सं0 – 6345 ⁄ 6642, रकवा – 1.35 डिसमील अंकित नहीं हो सका है तथा कुल वाद भूमि 7 एकड़ 35 डिसमील को संशोधित कर 9 एकड़ 46 डिसमील को अंकित किया जाना आवश्यक है। उक्त संशोधन सामान्य प्रकृति है तथा उससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः निवेदन है कि उक्त संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाये। प्रतिवादी के द्वारा उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि इस वाद की वाद भूमि पैतृक संपत्ति नहीं है। वाद भूमि प्रतिवादी के दादा छठु मांझी को सिकमी 7 ⁄ 20 बंटाईदार के रूप में प्राप्त है। वादी जिला गोड्डा, राज्य – झारखण्ड का निवासी है जिस कारण से यहां पर वादी की कोई पैतृक भूमि नहीं है फिर भी वादी के द्वारा खाताधारी अनुपलाल राय, स्वरूप लाल राय, सरयु प्रसाद केशरी की जमीन को दर्शा कर यह बंटवारा वाद लाया गया है। इस वाद में प्रतिवादी की ओर से लिखित कथन भी प्रस्तुत किया जा चुका है। वादी के द्वारा संशोधन के द्वारा नये खाता, खेसरा की जमीन जोड़ा जा रहा है जिसपर प्रतिवादी के पिता गुड़ा हांसदा को धारा 48डी वी.टी. एक्ट के तहत रैयती अधिकार प्राप्त है जिसपर प्रतिवादी शांतिपूर्ण रूप से दखलकार होकर लगान का भुगतान कर रहे हैं जिस कारण से वादी का यह आवेदन विधि के अंतर्गत पोषणीय न होने से खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा यह वाद बंटवारा हेतु लाया गया है तथा वाद पत्र के अनुसूची – बी में वादी के द्वारा वंशावली पेश की गयी है जिससे प्रतीत होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज के वारिसान हैं। वादी के द्वारा संशोधन के द्वारा अतिरिक्त पैतृक संपत्ति को वाद भूमि में जोड़े जाने हेतु यह आवेदन दिया गया है। वाद अभी प्रारंभिक स्तर पर है तथा वादी के द्वारा चाहा गया संशोधन साधारण प्रकृति का है तथा उससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः वादी के इस संशोधन आवेदन को **रूपये 500 ⁄ – खर्च पर स्वीकृत** किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि आदेशानुसार वाद पत्र को संशोधित करें। खर्चा प्रतिवादी को देय होगा। वाद आगामी दिनांक 23.05.2026 वास्ते वाद पद गठन हेतु। हस्ताक्षर ह0 ⁄ – अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	